

**HARYANA GOVERNMENT  
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT  
Notification**

The 10<sup>th</sup> September, 2013

**No. CCP(NCR)/KTL/Kalayath/CA/2013/2286.**-Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional, recreational activities and uses subservient to the above;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area mentioned in the schedule given below to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

**SCHEDULE**

Schedule of boundaries of the controlled area around the municipal limits of Kalayat, district Kaithal to be read with Drawing No. DTP(KTL)153/2007, dated the 20<sup>th</sup> June, 2007/ 29<sup>th</sup> March, 2013.

**North:-** Starting from point 'A' *i.e* the point where western boundary of village Kheri Lamba (Hadbast No. 46) meets the northern boundary of link road from village Kheri Lamba (Hadbast No. 46) to village Dhundwa (Hadbast No. 44). Thence moving toward North-East along the revenue boundaries of village Kheri Lamba (Hadbast No. 46), village Kalayat (Hadbast No. 30) and village Kharak Pandwa (Hadbast No.29) upto point 'B' *i.e* the point where Narwana-Kaithal railway line meets the revenue boundary of village Kharak Pandwa (Hadbast no.29 ).

**East:-** Thence moving from point 'B' towards South along the eastern revenue boundaries of village Kharak Pandwa (Hadbast No. 29) and village Ramgarh (Hadbast No. 27) upto the point 'C' where it meets the Northern boundary of Mataur Minor.

**South:-** Thence Moving from point 'C' towards West along the Northern bank of Mataur Minor upto the point where it meets the common revenue boundaries of village Pinjupura (Hadbast No. 31) and village Simla (Hadbast No.32), thence moving towards North-West along the revenue boundaries of village Pinjupura (Hadbast No. 31) and village Kalayat (Hadbast No.30) upto the point 'D' which is the tri-junction of revenue boundaries of village Kalayat (Hadbast no.30), village Simla (Hadbast No. 32) and village Bhana (Hadbast No. 19).

**West:-** Thence Moving from point 'D' towards North along the western revenue boundaries of village Kalayat (Hadbast No. 30), village Kolekha (Hadbast No. 45) and village Kheri Lamba (Hadbast No. 46) upto the point 'A' *i.e* the point of start.

T.C. GUPTA,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 10 सितम्बर, 2013

**संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/के.टी.एल/कलायत/सी0ए0/2013/2286**— चूंकि, सरकार की राय में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, मनोरंजनात्मक गतिविधियों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों हेतु संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात :-

**अनुसूची**

नगरपालिका सीमा कलायत जिला कैथल, के ईर्द गिर्द नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची ड्राईंग संख्या डी.टी.पी (कैथल) 153/2007, दिनांक 20 जून, 2007/29 मार्च, 2013 के साथ पढ़ी जाये।

**उत्तर:-** बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए अर्थात बिन्दु जहां पर गांव खेड़ी लाम्बा (हदबस्त संख्या 46), की पश्चिमी सीमा गांव खेड़ी लाम्बा (हदबस्त संख्या 46) से गांव ढुंढवा (हदबस्त संख्या 44) की सम्पर्क सड़क की उत्तरी सीमा को मिलती है। इसके पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर, गांव खेड़ी लाम्बा (हदबस्त संख्या 46), गांव कलायत (हदबस्त संख्या 30) तथा गांव खरक पांडवा (हदबस्त संख्या 29) की राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक अर्थात बिन्दु जहां नरवाना -कैथल रेलवे लाईन गांव खरक पांडवा (हदबस्त संख्या 29) की राजस्व सीमा से मिलती है,।

**पूर्व :-** तत्पश्चात बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर, गांव खरक पांडवा (हदबस्त संख्या 29) और गांव रामगढ़ (हदबस्त संख्या 27) की पूर्वी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जहां पर यह मटौर माईनर की उत्तरी सीमा को मिलती है।

**दक्षिण:-** तत्पश्चात बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर मटौर माईनर के उत्तरी किनारे के साथ-साथ उस बिन्दु तक, जहां पर यह गांव पिन्जूपुरा (हदबस्त संख्या 31) तथा गांव सिमला (हदबस्त संख्या 32) की संयुक्त राजस्व सीमा को मिलती है, उसके पश्चात उत्तर-पश्चिम की ओर चलते हुए गांव पिन्जूपुरा (हदबस्त संख्या 31) और गांव कलायत (हदबस्त संख्या 30) की राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक, जो कि गांव कलायत (हदबस्त संख्या 30), गांव सिमला (हदबस्त संख्या 32) तथा गांव भाना (हदबस्त संख्या 19) की राजस्व सीमाओं का त्रिसंगम है।

**पश्चिम:-** तत्पश्चात बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर, गांव कलायत (हदबस्त संख्या 30), गांव कोलेखा (हदबस्त संख्या 45) और गांव खेड़ी लाम्बा (हदबस्त संख्या 46) की पश्चिमी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जोकि प्रारम्भ का बिन्दु है।

टी. सी. गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।